(1)

150 YEARS OF CELEBRATING THE MAHATMA

इन्दिरा गाँधी पंचायती राज एवं ग्रामीण विकास संस्थान

(राज्य ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज संस्थान)

जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर–302004

दूरभाष : 0141– 2706577–78 फैक्स : 2706571

Web: www.igprgvs.rajasthan.gov.in , Mail: igprgvs@rajasthan.gov.in

क्रमांक : एफ 4 ( ) भण्डार / स्टेशनरी / आईजीपीआरएस / 2025–26 / 4021–24 18/12/25

ई निविदा सूचना / 2022–23

संस्थान में स्टेशनरी एवं अन्य सामान आपूर्ति कार्य हेतु पंजीकृत योग्य एवं अनुभवी बिड़दाताओं से निविदाएं आमंत्रित की जाती है:–

कार्य का विवरण	स्टेशनरी एवं अन्य समान आपूर्ति
अनुमानित कुल राशि (वार्षिक)	2000000 / –
ई निविदा शुल्क	500 / –
बिड़ प्रपड शुल्क	1000 / –
बोली प्रतिभूति राशि	40000 / –
बिड़ प्रपत्र उपलब्ध होने की दिनांक	19.12.2025
बिड़ प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि समय	दिनांक 01.01.2026 को मध्यान्ह पश्चात् 01:00 बजे तक
बिड़ खोले जाने की तिथि व समय	दिनांक 01.01.2026 को सांय: 03:00 बजे
बिड़ प्रपत्र एवं शर्ते प्राप्त किये जाने की प्रक्रिया	www.eprop.com www.igprgvs.rajasthan.gov.in www.sppp.rajasthan.gov.in से Download किया जा सकता है।

(रामस्वरूप)
अतिरिक्त निदेशक

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक हेतु प्रेषित है:–

1. निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क निदेशालय, जयपुर को निविदा प्रपत्र मय सीडी भिजवायी जाकर एक क्षेत्रीय दैनिक समाचार पत्र तथा 50000 प्रतियों और उससे अधिक परिचालन रखने वाले एक राज्य स्तरीय मुख्य दैनिक समाचार पत्र में न्यूनतम जगह में प्रकाशित करवाकर विज्ञप्ति की प्रति के साथ सूचित करावे।
2. प्रोग्रामर संस्थान को भेजकर लेख है कि राज्यलोक उपापन पोर्टल (SPPP) एवं विभागीय वेबसाईट अपलोड करावे।
3. केयर टेकर कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर उक्त निविदा को प्रकाशित करे।
4. कैशियर / प्राप्ति लिपिक संस्था, जयपुर।

आतिरिक्त निदेशक

तकनीकी निविदा

1. बिड प्रस्तुत करने वाली फर्म का नामः...
दूरभाष/मोबाईल नंबर एवं डाक का पताः..बैंक खाता संख्याः...बैंक का नामः... शाखा का नामः...IFSC Code:...
2. किसको संबोधित की गईः महानिदेशक, इन्दिरा गाँधी पंचायती राज एवं ग्रामीण विकास संस्थान जयपुर
3. संदर्भ–निविदा सूचना संख्याः 2025–26/ दिनांकः.......................................
4. बिड शुल्क की राशि 1000/– (रू.पांच सौ मात्र) दिनांक.......................... डि.डि./बैंकर्स चैक संख्या.......................
.......................के द्वारा जमा करा दी गयी है/संलग्न है (डी.डी. इंदिरा गाँधी पंचायती राज एवं ग्रामीण विकास संस्थान के नाम से संलग्न किया जाना है)।
5. हम इन्दिरा गांधी पंचायती राज एवं ग्रामीण विकास संस्थान जयपुर द्वारा जारी की गयी निविदा सूचना 2025–26/..............दिनांक ....में वर्णित सभी शर्तो से तथा संलग्न शीट में दी गयी उक्त निविदा सूचना की अतिरिक्त शर्तो से बाध्य होना स्वीकार करते हैं। (इनके सभी पृष्ठों पर उनमें उल्लेखित शर्तो को हमारे द्वारा स्वीकार किये जाने के प्रमाण में हमने हस्ताक्षर कर दिये हैं।
6. वित्तीय निविदा में उद्धृत की गयी दरें अनुबंध की तिथि से एक वर्ष तक के लिये विधिमान्य है। इस अवधि को पारस्परिक सहमति के आधार पर RTPP Act 2012 एवं नियम 2013 के नियमानुसार बढाया जा सकेगा।
7. बोली प्रतिभूति राशि के पेटे रू. 40,000/– का बैंक ड्राफ्ट/बैंकर्स चैक संख्या....................................... जो बैंक का नाम...पर आहरित किया गया है (डी.डी. इंदिरा गाँधी पंचायती राज एवं ग्रामीण विकास संस्थान के नाम से संलग्न किया जाना है)।
8. ई टेन्डर राशि रू. 500/– जमा कराने का विवरणः
डी.डी/बैंकर चैक संख्या...दिनांक..............................(बिड प्रपत्र राज्य लोक उपापन पोर्टल से डाउनलोड कर बिड शुल्क की राशि पृथक से डी.डी./बैंकर्स चैक MD,RISL के नाम से संलग्न किया जाना है।)
9. GST नियमों के अन्तर्गत पंजीयन सं.......................................पेन नंबर..की प्रति संलग्न है।
10. राजकीय विभागों/बोर्ड/निगम/स्वायतशासी संस्थाओं में स्टेशनरी आपूर्ति करने का कम से कम दो वर्ष (2023-24 व 2024-25) का आनुभव का विवरण (कार्यादेश की छायाप्रति संलग्न करें)

क्र.सं.	राजकीय विभागों/बोर्ड/निगम/स्वायतशासी संस्थाओं का नाम	अवधि
1.		
2.		

11. निविदा पर हस्ताक्षर फर्म से अधिकृत व्यक्ति द्वारा किए जावें।
12. बिड शुल्क एवं बोली प्रतिभूति राशि जमा/संलग्न नहीं होने पर बिड पर विचार नहीं किया जायेगा।
13. गत तीन वर्षो में फर्म के ब्लैक लिस्ट नहीं होने का स्वंघोषणापत्र
14. निविदादाता फर्म का गत दो वर्षो (2023–24 व 2024–25) में कुल 15.00 लाख का टर्न ओवर समान प्रकृति के कार्य का होना आवश्यक होना। निविदादाता द्वारा निविदा के साथ गत 2 वर्ष का टर्नओवर सी.ए. की प्रमाणित प्रति संलग्न करना आवश्यक होगा।
15. बिडदाता अपनी अन्य कोई शर्त अंकित नहीं करें। यदि अन्य शर्त अंकित की जाती है तो बिड को अस्वीकृत करने/शर्त को अमान्य करने का अधिकार संस्थान का होगा।
16. तकनिकी दृष्टि से उपयुक्त पाये जाने पर ही निविदादाता की वित्तीय निविदा खोली जावेगी।

निविदादाता के हस्ताक्षर मय सील

वित्तीय निविदा

क्र.सं.	नाम स्टेशनरी	दर राशि प्रति इकाई (राशि अंको में)
1.	करेक्टिंग फल्यूड सफेद (15 एमएल डाल्यूटर के साथ) प्रति नग	
2.	आलपीन बेल ब्रांड(प्रति पैकेट) 100 ग्राम बैल प्रति नग	
3.	यूपिन (प्रति पैकेट) 100 ग्राम प्रति नग	
4.	सादा रजिस्टर (120 पेज) लाईनदार पिंक बोर्ड प्रति नग	
5.	सादा रजिस्टर (200 पेज) लाईनदार पिंक बोर्ड प्रति नग	
6.	शार्ट हैण्ड पेन्सिल (नटराज) प्रति नग	
7.	गौंद शीशी 700 एम (कोरस) प्रति नग	
8.	लिफाफे अन्दर प्लास्टिक लाईन वाले (एफ/एस) साईज (100 का पैकिट)	
9.	अन्दर प्लास्टिक लाईन वाले पत्रावली साईज लिफाफे (100 का पैकिट)	
10.	लिफाफे अन्दर प्लास्टिक लाईन वाले (ए/4) साईज(100 का पैकिट)	
11.	लिफाफे सफेद (16x10) सें.मीटर (100 पैकिट)	
12.	स्टेपलर छोटे (कगारूं) नं0 10 प्रति नग	
13.	स्टेपलर बड़ा (कगारूं) नं0 24/6 प्रति नग	
14.	स्टेपलर पिन कोरस (छोटें) प्रति पैकेट कंगारू नं0 10 प्रति नग	
15.	स्टेपलर पिन कोरस (बड़े) प्रति पैकेट कंगारू नं0 24/6 प्रति नग	
16.	Sticky Notes (फ्लैग) कलर पैकिट प्रति पैकेट प्रति नग	
17.	पत्रावली कवर प्लास्टिक कोटेड प्रति नग	
18.	पत्रावली पैड फूल लगोंट प्रति नग	
19.	सेलो टेप (1इंच) 48 मीटर प्रति नग	
20.	सेलो टेप (1/2 इंच) 48 मीटर प्रति नग	
21.	सेलो टेप 2 इंच प्रति नग	
22.	डबल साईड टेप (1 इंच) प्रति नग	
23.	ग्लूस्टिक 15 एमएम प्रति नग	
24.	एफ.वी.सी.फार्म (100 का पैकिट)	
25.	पीएल फार्म (100 का पैकिट)	
26.	चालान फार्म (100 का पैकिट)	
27.	वेतन बिल फार्म (100 का पैकिट)	
28.	आयकर गणना प्रपत्र (मार्डन पैपर ,ग्रीन पैपर में) (100 का पैकिट)	
29.	पत्रावली लेस प्रति बन्डल प्रति बन्डल	
30.	पत्रावली टेग प्रति बन्डल	
31.	फोटो स्टेट पेपर (ए/4) प्रति नग	
32.	फोटो स्टेट पेपर (ए/4) 70 जीएसएम प्रति नग	
33.	फोटो स्टेट पेपर (एफ/एस /लीगल साईज) 75 जीएसएम प्रति नग	
34.	फोटो स्टेट पेपर (एफ/एस /लीगल साईज) 70 जीएसएम प्रति नग	
35.	सेल्फ इंक मोहर प्रति नग	
36.	फोल्डर प्लास्टिक बटन वाले डबल साईड प्रति प्रति नग	
37.	एल फोल्डर प्लास्टिक ए–4 साईज/एफ एस प्रति नग	
38.	पेन रिनोल्ड प्रति नग	
39.	सैलो बटर फलो पैन प्रति नग	
40.	एडजेल एचीवर पेन प्रति नग	
41.	पाईलेट पेन प्रति नग	
42.	वी 5 लक्जर प्रति नग	

43.	इम्पेक्ट युनीवाल पैन प्रति नग	
44.	परमानेन्ट मार्कर पेन प्रति नग	
45.	व्हाईट बोर्ड मार्कर पेन प्रति नग	
46.	ओ.एच.पी मार्कर पेन प्रति नग	
47.	हाईलाईट पेन प्रति नग	
48.	अशोका स्टाम्प पैड 5.6X9 प्रति नग	
49.	फिलिप चार्ट प्रति नग	
50.	स्लिप पैड लाईदार (20 पेज) 14X22 प्रति नग	
51.	स्लिप पैड लाईनदार (50 पेज) 21.5X27 प्रति नग	
52.	स्पाइरल डायरी (50 पेज) 8.4X5.7 प्रति नग	
53.	स्पाइरल डायरी (100 पेज) 29.7X21 प्रति नग	
54.	पेपर कटर प्रति नग	
55.	पैन स्टेण्ड 4 होल्डर व पेपर रोल सहित प्रति नग	
56.	पिओन बुक 160 पेज प्रति नग	
57.	डाक पेड रेगजीन प्रति नग	
58.	प्लानर 28X19.5 प्रति नग	
59.	डिस्पेच रजिस्टर 500 पेज प्रति नग	
60.	रिस्पेट रजिस्टर 500 पेज प्रति नग	
61.	पे पेस्टिग रजिस्टर 100 पेज प्रति नग	
62.	विभिन्न मोहरे लकड़ी पर दर प्रति लाईन	
63.	स्कैच पैन प्रति पैकेट	
64.	स्केल 12 इंच प्रति नग	
65.	उपस्थिति रजिस्टर 30 पेज प्रति नग	
66.	कैश बुक 400 पेज प्रति नग	
67.	गिलास (कांच के) 200 एम.एल. (6 नग)	
68.	कप सेट (बोन चाईना) (6 नग)	
69.	PVC ट्रे–बडी 14x10 प्रति नग	
70.	ताला (7 लीवर्स) 50 mm प्रति नग	
71.	ताला (7 लीवर्स) 75 mm प्रति नग	
72.	रबड़ प्रति नग	
73.	शोपनर प्रति नग	
74.	अस्थाई स्टॉक रजिस्टर 300 पेज प्रति नग	
75.	डस्टर क्लॉथ (15''x15'') प्रति नग	
76.	प्लास्टिक जग 2 लीटर प्रति नग	
77.	प्लास्टिक मग 2 लीटर प्रति नग	
78.	प्लास्टिक बाल्टी 16 लीटर प्रति नग	
79.	वाटर कैम्पर 5 लीटर प्रति नग	
80.	इलैक्ट्रिक कैटली 1 लीटर प्रति नग	
81.	Wireless रिमोट बैल 200ft Range प्रति नग	
82.	बेटरी 9 वाट ड्यूरो सेल प्रति नग	
83.	आल आऊट रिफील मय मशीन प्रति नग	
84.	आल आऊट रिफील प्रति नग	
85.	व्हाईट बोर्ड का डस्टर प्रति नग	

86.	पैन ड्राईव 16 GB ISI मार्का प्रति नग	
87.	पैन ड्राईव 32 GB ISI मार्का प्रति नग	
88.	पैन ड्राईव 64 GB ISI मार्का प्रति नग	
89.	केंची 10 Inch. प्रति नग	
90.	डस्टबिन 60 लीटर ढक्कन वाली प्रति नग	
91.	डस्टबिन 5 लीटर प्रति नग	
92.	पानी की बोतल प्लास्टिक (6 नग)	
93.	नेम प्लेट दर प्रति इंच	
94.	पे बिल फार्म (100 का पैकिट)	
95.	कप प्लेट सैट (बोन चायनना) (6 नग)	
96.	बस्ता (90X90) प्रति नग	
97.	लॉग बुक 200 पेज प्रति नग	
98.	टॉवल फूल साईज (36X72) bombay dyeing प्रति नग	
99.	नेपकीन (12X12) bombay dyeing प्रति नग	
100.	टेबिल टॉप प्लास्टिक 16X12 7mm प्रति नग	
101.	केलकूलेटर (सीटीजन/500, 12 डीजीट) प्रति नग	
102.	बिल रजिस्टर 240 पेज प्रति नग	
103.	मेडिकल रजिस्टर 240 पेज प्रति नग	
104.	पंचीग मशीन DP-52 प्रति नग	
105.	पंचीग मशीन DP-500 प्रति नग	
106.	रूम स्प्रे प्रति नग	
107.	नोटशीट 80Page 75 GSM प्रति नग	
108.	रिमोट सेल AAA Size प्रति नग	
109.	रिमोट सेल AA Size प्रति नग	
	कुल योग	..../—
110.	उक्त सामान के अतिरिक्त अन्य कोई सामान की यदि संस्थान को आवश्यकता हो (ब्रण्डेड कम्पनीके) एवं उसकी सप्लाई करने हेतु फर्म को आदेशित किया जाता है तो उक्त सामान को फर्म एम.आर.पी. से कितने प्रतिशत डिस्काउण्ट पर संस्थान का उपलबध करवान को सहमत होगी का उल्लेख किया जाना अनिवार्य है।	

नोटः—

1. न्यूनतम बोलीदाता (L-1) का आंकलन प्रति इकाई के समक्ष दर्शाई गयी राशि के कुल योग के आधार पर किया जायेगा।
2. G.S.T. नियमानुसार पृथक से देय होगा।
3. सप्लाई किया जाने वाला सामान स्टैण्डर्ड ब्रांड का होना चाहिये।
4. प्रस्तुत दरें MRP से अधिक नहीं होनी चाहिये।
5. उपापन समिति के मांगने पर ब्राण्ड एवं मॉडल वाली सामग्री के नमूने समिति के समक्ष प्रस्तुत करने होंगे।
6. विभिन्न फर्मो की स्टेशनरी की दरे समान होने की स्थिति में टर्नऑवर के आधार पर एल-1 फर्म का निर्णय किया जावेगा जिसका समस्त अधिकार संस्थान को होगा

निविदादाता के हस्ताक्षर

फर्म का नाम

पता व दूरभाष संख्या

15 YEARS OF CELEBRATING THE MAHATMA

इन्दिरा गाँधी पंचायती राज एवं ग्रामीण विकास संस्थान

(राज्य ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज संस्थान)

जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर–302004

दूरभाष : 0141– 2706577–78 फैक्स : 2706571

Web: www.igprgvs.rajasthan.gov.in , Mail: igprgvs@rajasthan.gov.in

खुली निविदा के लिये निविदा एवं संविदा शर्ते

टिप्पणीः– निविदादाताओं को इन शर्तो को सावधानी पूर्वक पढ़ना चाहिये तथा अपनी निविदाएँ भेजते समय इनकी पूर्णरूपेण पालना करनी चाहिये।

1. निविदादाता को निविदा की एक कॉपी संस्थान में दिनांक........................को दोपहर 01.00 बजे तक जमा करवानी होगी **जिसके समस्त प्रष्टो पर बोलीदाता द्वारा हस्ताक्षर करने आवश्यक है निविदा की कॉपी के साथ ही समस्त दस्तावेज (वित्तीय निविदा के अतिरिक्त) जोकि बोलीदाता द्वारा ऑनलाइन अपलोड किये गये है एवं बोली प्रतिभूति राशी का डी.डी., ई-निविदा शुल्क का डी.डी. एवं बिड प्रपत्र शुल्क राशी का मूल डी.डी. आवश्यक रूप से संलग्न करना आवश्यक है।**

2. ''वास्तविक डीलरों (Bonafide dealers) द्वारा निविदायें'':– निविदायें Services (सेवाओं) के पंजिकृत अनुभवी फर्मो/राजकीय कार्यालयों द्वारा ही दी जायेगी।

3. (क) फर्म के गठन आदि में किसी भी परिवर्तन की सूचना क्रेता अधिकारी को लिखित में ठेकेदार द्वारा दी जायेगी तथा इस परिवर्तन से संविदा के अधीन किसी भी दायित्व से, फर्म के पहले सदस्य को मुक्त नहीं किया जावेगा।

   (ख) संविदा के संबंध में फर्म में किसी भी नये भागीदार/भागीदारों के ठेकेदार द्वारा फर्म में तब तक स्वीकार नहीं किया जायेगा, तब तक कि वे इसकी समस्त शर्तों को मानने के लिये बाध्य नहीं हो जाते एवं क्रेता अधिकारी को इस संबंध में लिखित इकरारनामा प्रस्तुत नहीं कर देते। प्राप्ती स्वीकृती के लिए ठेकेदार की रसीद या बाद में उपरोक्त रुप में स्वीकार की गयी किसी भागीदार की रसीद उन सब को बाध्य करेगी तथा वह संविदा के किसी प्रयोजन के लिए पर्याप्त रुप से उन्मुक्ति (डिस्चार्ज) होगी।

4. **GST** (माल एवं सेवा कर) **पंजीयनः–** कोई भी डीलर यदि उस राज्य में, प्रचलित जहाँ उसका व्यवसाय स्थित है, **GST** अधिनियम के अन्तर्गत् पंजीकृत होना चाहिए तथा **GST** पंजीयन संख्या का उल्लेख किया जाना चाहिए। साथ ही डीलर को पैन नम्बर अवश्य देने होंगे।

5. दरें गन्तव्य स्थान तक (एफ.ओ.आर.) उद्धृतकी जानी चाहिए। गाडी भाड़े (कॉर्टेज) या पहरिवहन प्रभारों का सरकार द्वारा भुगतान नहीं किया जायेगा तथा माल की सुपुर्दगी क्रेता अधिकारी के परिसरों पर दी जावेगी।

6. **विधि मान्यता–** निविदायें, उनके खोले जाने के दिनांक से तीन माह की अवधि के लिये विधिमान्य होगी।

7. अनुमादित प्रदायकर्त्ता (सप्लायर) के लिये यह समझा जायेगा कि उसने प्रदाय की जाने वाली वस्तुओं की शर्तो, विनिर्देशों, आकार, मेक, रेखामित्रों आदि की सावधानीपूर्वक जांच कर ली है। यदि इन शर्तो, हस्ताक्षर करने से पूर्व उसे क्रेता अधिकारी को भेजेगा तथा उससे स्पष्टीकरण प्राप्त करेगा।

8. निविदादाता अपनी संविदा को या उसके किसी सारवान भाग को किसी अन्य एजेन्सी को नहीं सौंपेगा या उप–भाड़े (सब लैट) पर नहीं देगा।

11. विनिर्देशः–

(i) (क) प्रदाय की गयी सभी वस्तुएं निविदा में निर्धारित स्पेसीफिकेशन ट्रेडमार्क के पूर्णतया अनुरूप होंगी तथा जहां पर वस्तुओं की, आई.एस.आई. स्पेवीफिकेशन्स के अनुसार अपेक्षा की गयी हो, उन

मदों को पूर्णरूप से उन स्पेसीफिकेशन्स के अनुरूप होना चाहिए तथा उस पर वह मार्क होना चाहिए।

(ii) निविदा में अंकित वस्तुओं का प्रदाय, अन्य बातों के साथ, अनुमोदित नमूनों के ठीक अनुरूप होगा तथा अन्य सामग्रियों के मामले में, जहां कोई मानकीकृत या अनुमोदित नमूने न हों, वहां अत्युत्तम गुणवत्ता एवं विवरण की वस्तु का प्रदाय किया जायेगा। क्रेता अधिकारी/क्रेता समिति का उस संबंध में कि क्या प्रदाय की गई वस्तुऐं विनिर्देशों के अनुरूप है, तथा क्या वे नमूनो, यदि कोई हो, के अनुसार हैं, क्या वे सर्वश्रेष्ठ गुणवत्ता की है, किया गया निर्णय अंतिम एवं निविदादाताओं के लिये बाध्यकारी होगा।

(iii) वारंटी/गारंटी खण्ड :– निविदादाता यह गारंटी देगा कि माल/सामान/वस्तुऐं खरीदे जाने वाले उक्त माल/सामान/वस्तुओं की सुपुर्दगी के दिनांक से एक माह की अवधि तक यथा विनिर्दिष्ट विवरण एवं गुणवत्ता के अनुरूप बनी रहेंगी तथा इस तथ्य के बावजूद कि केता ने उक्त मालों/सामानों/वस्तुओं का निरीक्षण कर लिया है एवं/या उन्हें अनुमोदित कर कर दिया है, यदि एक माह की उक्त अवधि में, उक्त मालों/सामानों/वस्तुओं/वस्तुओं को उपरोक्त विवरण एवं गुणवत्ता के अनुरूप नहीं पाया गया या वे समाप्त हो गये हैं(तथा उस संबंध में क्रेता अधिकारी का निर्णय अंतिम व निर्णायक होगा), तो क्रेता उक्त मालों/सामानों/वस्तुओं को या उनके उस भाग को जो उक्त विवरण एवं गुणवत्ता के अनुरूप नहीं पाया जाये, रद्द करने का हकदार होगा। ऐसे रद्द किये जाने पर माल/सामान/वस्तुयें विक्रेता की जोखिम पर होंगी तथा माल आदि को रद्द करने से संबधित समस्त उपबंध लागू होगें। निविदादाता, यदि उसे ऐसा करने के लिये कहा जाये तो वह उस माल आदि को या उसके भाग को जिसे क्रेता अधिकारी द्वारा रद्द कर दिया गया गया है, बदल देगा, अन्यथा निविदादाता ऐसी नुकसानी के लिये भुगतान करेगा जो इसमें दी गयी शर्त के उल्लंघन के कारण उत्पन्न होगी। इसमें दी गयी कोई भी बात से इस संविदा के अधीन या अन्यथा उस संबंध में क्रेता अधिकारी के किसी अन्य अधिकार पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालेगी।

(iv) मशीनों एवं उपकरणों के मामले में भी, उक्त खण्ड (iii) में उल्लेखित किये गये अनुसार गारंटी दी जायेगी तथा निविदादाता गारंटीकृत अवधि में पुर्जो, यदि कोई हो, को बदलेगा और किसी भी विनिर्माण की कमी को दूर करेगा यदि उक्त अवधि में वैसा पाया जाये, ताकि मशीन एवं उपकरण ठीक काम कर सकें। निविदादाता मशीनों एवं उपकरणों को उस स्थिति में भी बदलेगा यदि वे ऐसे दोषपूर्ण पाये जाऐं कि विनिर्माण की त्रुटी आदि के कारण उन्हें काम में नहीं लिया जा सकता हो।

(v) क्रेता आधिकारी द्वारा विनिर्दिष्ट मशीन एवं उपकरण के मामले में निविदादाता ऐसे निबंधनों और शर्तो पर जो उनके बीच स्वीकार की जाये, वार्षिक रख रखाव (मेंटीनेन्स) एवं मरम्मत करने के लिये उत्तरदायी होगा। निविदादाता किसी विशिष्ट प्रकार की मशीनरी के लिये आवश्यक स्पेयर पार्ट्स एवं उपकरणों का नियमित समुचित प्रदाय करने के लिये भी, चाहे वार्षिक रखरखाव व मरम्मत की दर संविदा के अधीन या अन्यथा उत्तरदायी होगा। मॉडल में परिवर्तन के मामले में, वह क्रेता अधिकारी को पर्याप्त समय पूर्व सूचना देगा जो अपनी मशीनों एवं उपकरणों को पूर्ण रूप से कार्यकारी दशा में रखने के लिये उनसे स्पेयर पार्ट्स खरीद सकेगा।

11. निविदादाता उचित पैकिंग करने के लिये उत्तरदायी होगा ताकि समुद्र, रेल, सड़क या वायुयान द्वारा परिवहन की सामान्य स्थिति में उनमें कोई क्षति न हो तथा गन्तव्य स्थल पर माल प्रप्तकर्ता को माल की सुपुर्दगी अच्छी दशा में प्राप्त हो सके। किसी प्रकार की हानि, क्षति टूटफूट या रिसाव (लीकेज) या किसी कमी के होने के मामले में निविदादाता माले प्राप्तकर्ता द्वारा उन सामग्रियों की जांच/निरीक्षण किये जाने पर पायी गयी, ऐसी हानी एवं कमी की पूर्ति करने के लिये उत्तरदायी होगा। इसके लिये काई अतिरिक्त लागत स्वीकार नहीं की जायेगी।

12. प्रदाय हेतु संविदा को, यदि माल की सप्लाई क्रेता अधिकारी की संतुष्टि के अनुसार नहीं की जाती है, तो निविदाता को सुनवाई का एक युक्तियुक्त अवसर देने के बाद क्रेता अधिकारी किसी भी समय निराकृत (Repudiate) कर सकता हैं। वह इस प्रकार निराकृत करने के करणों को अभिलिखित करेगा।

13. निविदादाता का उसके प्रतिनिधि की ओर से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अपना पक्ष समर्थन कराना एक प्रकार की अनर्हता (Disqualification) होगी।

14. (1) **सुपुर्दगी अवधिः** निविदादाता जिसकी निविदा स्वीकार की जाये, संस्थान प्रदाय आदेश करने की तारीख से 3 दिन की अवधि के भीतर निम्न प्रकार सामान का प्रदाय करने की व्यवस्था करगाः–

(2) परिमाण **(Quantity) में परिवर्तन का अधिकारः–**

(1) यदि उपापन संस्था परिस्थितियों में परिवर्तन के करण उपापन की कोई विषयवस्तु उपाप्त नहीं करती है या बोली दस्तावेजों में विनिर्दिष्टपरिमाण से कम उपाप्त करती है तो बोली लगाने वाला बोली दस्तावेजों में अन्यथा उपबंधित के सिवाय, किसी भी दावे या प्रतिकर का हकदार नहीं होगी।

(2) अतिरिक्त मदों या अतिरिक्त परिमाणों के लिये पुनरादेश, यदि यह बोली दस्तावेजों में उपबंधित हो, संविदा में दी गयी दरों और शर्तों पर दिये जा सकेगें यदि मूल आदेश खुली प्रतियोगी बोलियां आमंत्रित करने के पश्चात् दिया गया था। प्रदाय या पूर्ण होने की कालावधि भी आनुपातिक रूप् से बढायी जा सकेगी। पुनरादेश की सीमाएं निम्नलिखित होंगीः–

(i) संकर्मो (Works) की दशा में व्यष्टिक मदों की मात्रा का 50 प्रतिशत और मूल संविदा के मूल्य का 50 प्रतिशत, और

(ii) मूल संविदा के माल (Good) या सेवाओं (Services) के मूल्य का 50 प्रतिशत।

(3) यदि क्रेता अधिकारी किन्हीं निविदत्त वस्तुओं की खरीद नहीं करता है या निविदा प्रपत्र में निर्दिष्ट मात्रा से कम मात्रा में माल खरीदता है, तो निविदादाता किसी क्षतिपूर्ति का कलेम करने के लिये अधिकृत नहीं होगा।

15. बोली प्रतिभूति राशिः

1. प्रतियोगी बोली, द्वि–प्रक्रमी बोली, दर संविदा, इलैक्ट्रोनिक रिवर्स नीलाम के मामले में बोली प्रतिभूति बोली के लिये प्रस्तुत उपापन की विषय वस्तु के प्रक्कलित मूल्य का 5 प्रतिशत होगी।

2. बोली प्रतिभूति के स्थान पर, बोली प्रतिभूति घोषणा राज्य सरकार के विभागों और सरकार के स्वामित्वाधीन या नियंत्रित या प्रंबधित उपक्रमों, निगमों, स्वायत्त निकायों, रजिस्ट्रीकृत सोसाइटिओं, सहकारी सोसाइटियों और केन्द्रीय सरकार या राजस्थान सरकार के सरकारी उपक्रम और कम्पनियों से ली जायेगी।

3. उपापन संस्था के पास अन्य बोलियों में प्रतीक्षित विनिश्चय के संबंध में रखी हुई बोली लगाने वाले की बोली प्रतिभूति, नयी बोली के लिये बोली प्रतिभूति में समायोजित नहीं की जायेग। तथापि, मूल रूप से जमा करायी गयी बोली प्रतिभूति बोली के पुनः आमंत्रित किये जाने की दशा में विचार में ली जा सकती है।

4. बोली प्रतिभूति बैंकर चैक या मांगदेय ड्राफ्ट या अनुसूचित बैंक के विनिर्दिष्ट रूपविधान में बैंक गारंटी या ई–ग्रास (egras) के माध्यम से जमा के रूप में दी जा सकेगी। बोली प्रतिभूति, बोली की मूल या बढायी गयी विधिमान्यता की कालावधि से तीस दिन आगे तक विधिमान्य रहनी चाहिये।

5. बोली दस्तावेजों में यह नियत किया जा सकेगा कि बोली प्रतिभूति का निर्गामी और बोली प्रतिभूति की पुष्टि करने वाला, यदि कोई हो, के साथ ही बोली प्रतिभूति का प्रारूप और निबंधन उपापन संस्था को स्वीकार्य होना चाहिये। अन्तरराष्ट्रीय प्रतियोगी बोली की दशा में बोली दस्तावेजों में यह भी नियत किया जा सकेगा कि बोली प्रतिभूति भारत में किसी निर्गामी द्वारा जारी की जायेगी।

6. यदि अपेक्षित हो तो प्रस्तुतीकरण प्रस्तुत करने से पूर्व, बोली लगाने वाला बोली प्रतिभूति के प्रस्थापित निर्गामी या प्रस्थापित पुष्टि करने वाले की स्वीकार्यता को पुष्ट करने के लिये उपापन संस्था से अनुरोध कर सकेगा। उपापन संस्था ऐसे किसी अनुरोध का तत्परता से प्रत्युत्तर देगी।

7. बोली प्रतिभूति के रूप में प्रस्तुत बैंक गारंटी की संबंधित जारी करने वाले बैंक से पुष्टि करायी जायेगी। तथापि, प्रस्तावित निर्गामी या किसी प्रस्तावित पुष्टि करने वाले की स्वीकार्यता की पुष्टि इस आधार पर बोली प्रतिभूति को अस्वीकार करने से उपापन संस्था को अपवर्जित नहीं करती है कि निर्गामी या, यथास्थिति, पुष्टि करने वाला दिवालिया हो गया है या अन्यथा उधार के लिये पात्र नहीं रहा गया है।

8. असफल बोली लगाने वालों की बोली प्रतिभूति का प्रतिदाय सफल बोली की अंतिम स्वीकृति और करार के हस्ताक्षर करने और कार्य सम्पादन प्रतिभूति प्रस्तुत करने के शीघ्र पश्चात् कर दिया जायेगा।

9. बोली लगाने वाले से ली गई बोली प्रतिभूति निम्नलिखित मामलों में समपहृत (Forfeited) कर दी जायेगी, अर्थात्:

(i) जब बोली लगाने वाला बोली के खुलने के पश्चात् अपनी बोली प्रत्याहृत या उपान्तरित करता है:

(ii) जब बोली लगाने वाला प्रदाय/संकर्म आदेश देने के पश्चात् विनिर्दिष्ट कालावधि के भीतर करार, यदि कोई हो, का निष्पादन नहीं करता है:

(iii) जब बोली लगाने वाला विनिर्दिष्ट समय के भीतर प्रदाय/संकर्म आदेश के अनुसार माल या सेवा का प्रदाय या संकर्म का निष्पादन प्रारंभ करने में असफल रहता है:

(iv) जब बोली लगाने वाला विनिर्दिष्ट कालावधि के भीतर कार्य सम्पादन प्रतिभूति जमा नहीं कराता है:

(v) यदि बोली लगाने वाला अधिनियम और इन नियमों के अध्याय 6 में विनिर्दिष्ट बोली लगाने वालों के लिये विहित सत्यनिष्ठा की संहिता के किसी उपबंध का भंग करता है।

10. सफल बोली लगाने वाले की दशा में, बोली प्रतिभूति की रकम कार्य सम्पादन प्रतिभूति की रकम में समायोजित की जा सकती है या लौटायी जा सकती है,
यदि सफल बोली लगाने वाला पूर्ण रकम की कार्य सम्पादन प्रतिभूति दे देता है।

11. उपापन संस्था निम्नलिखित दशाओं के शीघ्र पश्चात् बोली प्रतिभूति को तत्परता से लौटा देगी, अर्थात्:–

a. बोली प्रतिभूति की विधिमान्यता के अवसान पर,

b. सफल बोली लगाने वाले के द्वारा उपापन के लिये करार के निष्पादन और कार्य सम्पादन प्रतिभूति देने पर ,

c. उपापन प्रक्रिया के रद्दकरण पर, या

d. बोली प्रस्तुत करने के लिये अन्तिम समय–सीमा से पूर्व बोली के प्रत्याहरण पर, जब तक कि बोली दस्तावेजों में यह अनुबंध .नहीं हो कि ऐसा कोई प्रत्याहरण अनुज्ञात नहीं किया गया है।

<u>16.दर संविदा की पद्धति</u> अंगीकार करने के लिए धारा 36 की उप–धारा (1) में सम्मिलित शर्तों के अतिरिक्त, उपापन संस्था दर संविदा की पद्धति अंगीकार कर सकेगी जब वह यह अवधारित करे कि उपापन की विषय वस्तु की प्रकृति के आधार पर, समय की दी गयी कालावधि के दौरान अति आवश्यक आधार पर, उस विषय वस्तु की आवश्यकता उत्पन्न हो सकती है।

(2) दर संविदा के लिए प्रक्रिया निम्नानुसार होगी:–

(क) उपापन संस्था, खुली प्रतियोगी बोली की पद्धति द्वारा दर संविदा का अधिनिर्णय कर सकेगी। यदि खुली प्रतियोगी बोली की पद्धति अंगीकार करना संभव नहीं हो तो उपापन संस्था, कारण अभिलिखित करने के पश्चात्, उपापन की अन्य पद्धति अंगीकृत कर सकेगी। कालावधि के दौरान अपेक्षित माल,

संकर्मों या सेवाओं की अनुमानित मात्रा बोली आमंत्रित करने वाले नोटिस में उप–दर्शित की जायेगी किन्तु किसी न्यूनतम मात्रा की गारंटी नहीं दी जायेगी।

(ख) दर संविदा की कालावधि सामान्यतः एक वर्ष, बजट व्यवस्था और करों के उद्ग्रहण के अनुरूप होने के लिए अधिमानतः एक वित्तीय वर्ष होगी। यह और कम कालावधि की हो सकेगी यदि बाजार कीमतों में महत्वपूर्ण परिवर्तन होने की प्रत्याशा हो। यह अधिकतम दो वर्ष की दीर्घतर कालावधि तक भी हो सकेगी यदि बाजार कीमतों में महत्वपूर्ण परिवर्तन होने की प्रत्याशा न हो। दर संविदा के लिए कालावधि का चयन करने के लिए कारण अभिलिखित किये जायेंगे।

(ग) प्रथम प्रक्रम में जब एकल भाग या द्वि–भाग बोलियों धारा 13 के उपबंधों के अनुसार आमंत्रित की जायेंगी।

(घ) कोई दर संविदा, न्यूनतम कीमत वाली बोली या सर्वाधिक लाभप्रद बोली के बोली लगाने वाले के साथ, उपापन की विषय वस्तु की मात्रा, स्थान और समय के लिए प्रतिबद्धता के बिना, कीमत के लिए की जायेगी।

(ड) द्वितीय प्रक्रम में जब कभी आवश्यक हो उपापन की विषय वस्तु की अपेक्षित मात्रा के प्रदाय या निष्पादन के लिए संविदाकृत कीमत पर, प्रदाय या निष्पादन का स्थान, परिदान अनुसूची, इत्यादि वर्णित करते हुए प्रदाय या कार्य आदेश दिया जायेगा।

(च) दर संविदा, बोली दस्तावेजों में ऐसा उपबंध होने पर एक से अधिक बोली लगाने वालों के साथ समानान्तर दर संविदाओं के रूप में, अंतिम मूल्यांकन में उनकी स्थिति के क्रम में, उन्हें न्यूमनतम या सर्वाधिक लाभप्रद बोली लगाने वाले की कीमत का प्रति–प्रस्ताव देते हुए, माल या सेवाओ के तुरन्त प्रदाय या संकर्मों के तुरन्त निष्पादन को सुनिश्चित करने के लिए की जा सकेंगी, यदि अपेक्षित उपापन की विषय वस्तु की मात्रा न्यूनतम बोली लगाने वाले की क्षमता से परे है या उपापन की विषय वस्तु संकटपूर्ण ओर अति मत्वपूर्ण प्रकृति की है।

(छ) परिनिर्धारित नुकसानी के लिए उपबंधों को सम्मिलित करते हुए दर संविदा के निबंधन और शर्तें उनके समान होंगी जो खुली प्रतियोगी बोली द्वारा उपापन के लिए विहित की गयी हैं।

(ज) दर संविदा के अधीन कीमतें, कीमत गिरने के खण्ड के अध्यधीन होंगी। कीमत गिरने संबंधी खण्ड, दर संविदा के निबंधनों और शर्तों में सम्मिलित किया जायेगा। कीमत गिरने का खण्ड, दर संविदाओं में कीमत सुरक्षा क्रियाविधि है और यह उपबंध करता है कि यदि दर संविदा धारक, दर संविदा के चालू रहने के दौरान किसी भी समय राज्य में किसी को दर संविदा कीमत से कम कीमत पर समान माल, संकर्मों या सेवाएं देने के लिए उसकी कीमत कोट करता/कम करता है तो उस दर संविदा के अधीन उपापन की विषय वस्तु के समस्त परिदान के लिए दर संविदा कीमत, कीमत कम करने या कोट करने की तारीख से स्वतः कम हो जायेगी और दर संविदा तदनुसार संशोधित की जायेगी। समानान्तर दर संविदा धारण करने वाली फर्मों को भी कम की हुई कीमत अधिसूचित करके अपनी कीमत कम करने का अवसर देते हुए पुनरीक्षित कीमत की उनकी स्वीकारोक्ति से सूचित करने के लिए पन्द्रह दिन का समय दिया जायेगा। इसी प्रकार यदि कोई समानान्तर दर संविदा धारक फर्म, दर संविदा के चालू रहने के दौरान अपनी कीमत कम करती है तो उसकी कम की गयी कीमत अन्य समानान्तर दर संविदा धारक फर्मों और मूल दर संविदा धारक फर्म को अपनी कीमतें तत्समान कम करने के लिए संसूचित की जायेगी। यदि कोई दर संविदा धारक फर्म, कीमत कम करने से सहमत नहीं होती है तो उनके साथ आगे और संव्यवहार नहीं किया जायेगा।

17. (1) करार एवं कार्य संपादन प्रतिभूति (Agreement and Performance Security)

1. सफल निविदादाता को आदेश के प्राप्त होने से 7 दिन की अवधि के भीतर प्रारूप 17 में उसके खर्चे पर विनिर्दिष्ट मूल्य के न्यायिकेतर स्टाम्प पर एक करार पत्र निष्पादित करना होगा तथा निविदा में अंकित अनुमानित राशि के 5 प्रतिशत के बराबर कार्य संपादन प्रतिभूति राशि जमा करानी होगी।

2. कार्य सम्पादन प्रतिभूति की अभ्यर्थना राज्य सरकार के विभागों और ऐसे उपक्रमों, निगमों, स्वायत्त निकायों, रजिस्ट्रीकृत सोसाइटियों, सहकारी सोसाइटियों जो राज्य सरकार के स्वामित्व या

नियंत्रण या प्रबंध में हों और केन्द्रीय सरकार के उपक्रमों के सिवाय समस्त प्रतिभूति घोषणा ली जायेगी। राज्य सरकार किसी विशिष्ट उपापन या उपापन के किसी प्रवर्ग के मामले में कार्य सम्पादन प्रतिभूति के उपबंध को शिथिल कर सकेगी।

3. राजस्थान के लघु उद्योगों के मामले में माल के प्रदाय के लिये अनुमानित राशि की 1 प्रतिशत होगी और लघु उद्योगों से भिन्न रूग्ण उद्योगों, जिनके मामले औद्योगिक और वित्तीय पुनर्निमाब बोर्ड के समक्ष लंबित है, के मामले में यह प्रदाय अनुमानित राशि का 2 प्रतिशत होगी।

4. कार्य सम्पादन प्रतिभूति निम्नलिखित प्रारूपों में से किसी एक में प्रस्तुत की जायेगी:

i. ''ई–ग्रास (egras) के माध्यम से जमा''

ii. किसी अनुसूचित बैंक का बैंक ड्राफ्ट या बैंकर चैक,

iii. राष्ट्रीय बचत पत्र और राजस्थान में किसी डाकघर द्वारा अल्प बचत के प्रोन्नयन के लिये राष्ट्रीय बचत स्कीमों के अधीन जारी कोई अन्य स्क्रिप्ट/लिखत, यदि वह सुसंगत नियमों के अधीन बंधक रखी जा सकती हो। बोली के समय वे उनके समर्पण मूल्य पर स्वीकार की जायेंगी और मुख्य डाकपाल के अनुमोदन से औपचारिक रूप से उपापन संस्था के नाम अंतरित की जायेंगी।

iv. किसी अनुसूचित बैंक की बैंक गांरटी/गारंटियां। यह जारी करने वाले बैंक से सत्यापित करायी जायेगी। बैंक गारंटी से संबंधित अन्य शर्तें बोली प्रतिभूति के लिये नियम 42 में वर्णित के सामान होंगी।

v. किसी अनुसूचित बैंक की नियत जमा रसीद (एफडीआर)। यह बोली लगाने वाले के खाते उपापन संस्था के नाम होगी और बोली लगाने वाले द्वारा अग्रिम रूप से उन्मोचित की जायेगी। उपापन संस्था नियत जमा रसीद को स्वीकार करने के पूर्व यह सुनिश्चित करेगी कि बोली लगाने वालो बैंक की ओर से उपापन संस्था को संबमधित बोली लगाने वाले की सहमति की अपेक्षा के बिना , नियत जमा रसीद का मांग पर संदाय/समय पूर्ण संदाय करने का वचन देता है। कार्य सम्पादन प्रतिभूति के समपहरण की दशा में नियत जमा ऐसी नियत जमा पर अर्जित ब्याज के साथा समपहृत कर ली जायेगी।

5. कार्य समपादन प्रतिभूति वारंटी बाध्याताओं और रखरखाव और दोष दायित्व कालावधि को सम्मिलित करते हुये बोली लगाने वाले की समस्थ संविदाजात बाध्यताओं के पूरा होने की तारीख से परे साठ दिनों की कालावधि के लिये विधिमान्य रहेगी।

3. **प्रतिभूति निक्षेप का समपहरण:–** प्रतिभूति की राशि को पूर्ण या आंशिक रूप से निम्नलिखित मामलों में समपहृत किया जा सकेगा:–

a. जब संविदा के किन्हीं निबंधनों और शर्तों का उल्लंघन किया गया हो।

b. जब निविदादाता सम्पूर्ण प्रदाय संतोषजनक ढंग से करने में असफल रहा हो।

c. प्रतिभूति निक्षेप को समपहृत करने के मामले मे युक्तियुक्त समय पूर्व नोटिस दिया जायेगा।

इस संबंध में क्रेता अधिकारी का निर्णय अंतिम होगा।

d. (1) समस्त माल रेलवे या गुड्स ट्रांसपोर्ट के जरिये भाड़ा चुका कर भेजा जायेगा। यदि सामान भेज दिया जाता है तथा उसका भाडा चुकाना हो, तो प्रदायकर्त्ता (सप्लायर) के बिल में से उस भाडे के 5 प्रतिशत की दर से विभागीय प्रभारों की भी वसूली की जायेगी।

(2) आर.आर. (RR) केवल बैंक के माध्यम से रजिस्टर्ड लिफाफे में भेजी जानी चाहिये।

(3) यदि क्रेता अधिकारी माल को पैसेंजर ट्रेन से भिजवाने की इच्छा करता है तो सम्पूर्ण रेल भाड़ा विभाग द्वारा वहन किया जायेगा।

(4) भुगतान करने पर किये गये प्रेषण प्रभार (Remittance charges) निविदादाता द्वारा वहन किये जायेंगे।

18. **परिमाण में परिवर्तन का अधिकारः–**

(1) यदि उपापन संस्था परिस्थितियों में परिवर्तन के कारण उपापन की कोई विषयवस्तु उपाप्त नहीं करती है या बोली दस्तावेजों में विनिर्दिष्ट परिमाण से कम उपाप्त करती है तो बोली लगाने वाला बोली दस्तावेजों में अन्यथा उपबंधित के सिवाय, किसी भी दावे या प्रतिकर कर हकदार नहीं होगा।

(2) अतिरिक्त मदों के लिए आदेश, यदि बोली दस्तावेजों में अनज्ञात किया जाये, मूल संविदा के मूल्य के 5 प्रतिशत तक, वित्त विभाग द्वारा यथा विहित शक्तियों की अनुसूची के अनुसार उपापन संस्था द्वारा रखे जा सकेंगे। संविदाकार को उपापन संस्था द्वारा संदेय ऐसी अतिरिक्त मदों का उचित बाजार मूल्य, संबंधित प्रशासनिक विभाग द्वारा विहित मार्गदर्शक सिद्धांतो के अनुसार, उपापन संस्था द्वारा अवधारित किया जयेगा।

(3) यदि बोली दस्तावेजों में अनुज्ञात किया जाये तो अतिरिक्त मात्रा के लिए आदेश, संविदा में दी गयी शर्तों और दरों पर दिये जा सकेंगे और मूल आदेश खुली प्रतियोगी बोलियों के आमंत्रण के पश्चात् दिये जा सकेंगे। परिदान या पूर्णता कालावधि भी आनुपातिक रूप से बढाई जा सकेगी। अतिरिक्त मात्राओं के लिए आदेश की सीमा निम्नानुसार होगीः–

(क) वयोक्तक मंदो का मात्रा का 50 प्रतिशत और सकमे की दशा में मूल संविदा के मूल्य का 50 प्रतिशत, और

(ख) मूल संविदा के माल या सेवाओं के मूल्य का 50 प्रतिशत।

परन्तु आपवादिक परिस्थितियों में और संविदा के अधीन परिकल्पित कार्य के विस्तार को बदले बिना, संबंधित प्रशासनिक विभाग के पूर्व अनुमोदन से कोई उपापन संस्था मूल संकर्म आदेश में यथाउपबंधित वैयक्तिक मदों की मात्रा के 50 प्रतिशत से अधिक अतिरिक्त मात्रा का उपापन निम्नानुसार कर सकेगीः–

(i) कि उपापन संस्था, लेखबद्ध किये जाने वाले कारणों से, पुनरीक्षित अपेक्षाओं के लिए सक्षम प्राधिकारी से पूर्व अनुमोदन प्राप्त करेगी। अतिरिक्त मात्राओं के लिए आदेशों की मात्रा के कारण, जहां कहीं आवश्यक हो, उपापन संस्था सक्षम प्राधिकारियों से पूर्व और पुनरीक्षित तकनीकी, वित्तीय और प्रशासनिक मंजूरी अभिप्राप्त करेगी,

(ii) कि इस प्रकार उपाप्त अतिरिक्त मात्राएं निष्पादित किये जाने वाले कार्य का भाग होंगी,

(iii) कि मूल संविदा के मूल्य के 50 प्रतिशत की सीमा किसी भी दशा में नहीं बढाई जायेगी।

19. बीमाः–

1. सामान्य गन्तव्य गोदाम पर सही दशा में सुपुर्द किये जायेंगे। यदि सप्लायर चाहे तो वह मूल्यवान सामान को चोरी, नाश या आग, बाढ़, मौसम में पडा रहने के कारण या अन्यथा (जैसे–युद्ध, विद्रोह, दंगे आदि) द्वारा हानि से बचाने के लिये बीमा करा सकेगा। यह बीमा प्रभार निविदादाता द्वारा वहन किया जायेगा तथा यदि ऐसे व्यय किये जाते हैं तो राज्य से इन प्रभारों का भुगतान करने की अपेक्षा नहीं की जायेगी।

2. यदि क्रेता द्वारा चाहा गया हो तो क्रेता की लागत पर भी इन वस्तुओं का बीमा कराया जा सकेगा। ऐसे मामलों में बीमा सदैव भारतीय जीवन बीमा निगम या उसकी सहायक शाखाओं से कराया जाना चाहिये।

20. भुगतानः–

1. जब तक पक्षकारों के मध्य अन्यथा सहमति न हो जाए, सामान की सुपुर्दगी के लिये भुगतान निविदादाता द्वारा क्रेता अधिकारी को उचित रूप में सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियमों के अनुसार बिल प्रस्तुत करने पर किया जायेगा तथा सभी प्रेषण प्रभार निविदादाता द्वारा वहन किये जायेंगे।

2. विवादास्पद मदो के संबंध में, राशि के 10 से 25 प्रतिशत तक को रोका जायेगा तथा उस विवाद का निपटारा हो जाने पर विवाद निपटान अनुसार भगतान कर दिया जायेगा।

3. उन मामलों के संबंध में जिसमें परीक्षण करने की जरूरत है, भुगतान तभी किया जायेगा, जब वे परीक्षण कर लिये जायेंगे तथा हुए परीक्षण परिणाम विहित स्पेसीफिकेशन के अनुरूप होंगे।

21. (1) निविदा प्रपत्र में सुपुर्दगी के लिये विनिर्दिष्ट समय को संविदा के सार रूप में समझा जायेगा तथा सफल निविदादाता क्रेता अधिकारी से स्पष्ट आदेश के प्राप्त होने पर अवधि के भीतर प्रदाय करेगा।

(2) परिसमापित नुकसानी (Liquidated damages):— परिसमापित नुकसानी के साथ सुपुर्दगी अवधि में वृद्धि करने के मामले में, वसूली निम्नलिखित प्रतिशतता के आधार पर उन सामानों के मूल्यों के लिये की जायेगी, जिनकी निविदादाता सप्लाई करने में असफल रहा है:—

विहित सुपुर्दगी अवधि की एक चौथाई अवधि से अनाधिक के लिये 2½%

एक चौथाई अवधि से अधिक किन्तु विहित अवधि की आधी अवधि से अनाधिक के लिये 5%

आधी अवधि से अधिक किन्तु विहित अवधि के तीन चौथाई से अधिक अवधि के लिये 7½%

विहत अवधि की तीन चौथाई से अधिक के विलम्ब के लिये 10%

1. प्रदाय में विलम्ब की अवधि की गणना करते समय आधे दिन से कम भाग को छोड़ दिया जायेगा।

2. परिसमापित नुकसानी की अधिकतम राशि 10% होगी।

3. यदि प्रदायकर्त्ता (सप्लायर) किन्हीं बाधाओं के कारण संविदान्तर्गत् माल का प्रदाय पूरा करने के लिये समय में वृद्धि करना चाहता है, तो वह लिखित में उस प्राधिकारी को आवेदन करेगा, जिसने प्रदायगी हेतु आदेश दिया है। किन्तु वह उसके लिये निवेदन बाधा के घटित होने पर तुरन्त उसी समय करेगा न कि सप्लाई पूर्ण होने की निर्धारित तारीख के बाद करेगा।

4. यदि माल की सप्लाई करने में उत्पन्न हुई बाधा निविदादाता के नियंत्रण से परे कारणों से हुई हो, तो सुपुर्दगी की अवधि में वृद्धि परिसमापित नुकसानी सहित या रहित की जा सकेगी।

22. **वसूलियां:—** परिसमापित नुकसनी, कम प्रदाय, टूटफूट, रद्द की गयी वस्तुओं के लिये वसूली साधारण रूप से बिल में से की जायेगी। प्रदायकर्ता कम प्रदाय, टूटफुट, रद्द किये गये मालों की सीमा तक राशि को भी रोका जा सकेगा तथा यदि सप्लायर संताषजनक ढंग से उनके नहीं बदलता है तो परिसमाजित क्षय के साथ वसूली उसकी देय राशि (Dues) एवं विभाग के पास उपलब्ध प्रतिभूति निक्षेप से की जायेगी। यदि वसूली करना संभव न हो तो राजस्थान पी डी आर एक्ट या प्रवृत्त किसी अन्य कानून के अन्तर्गत् कार्यवाही की जावेगी।

23. निविदादाताओं को यदि आवश्यक हो तो आयात लाईसेंस प्राप्त करने के लिये अपनी स्वयं की व्यवस्था करनी चाहिये।

24. यदि निविदादाता ऐसी शर्तें आरोपित करता है, जो इसमें वर्णित शर्तों के अतिरिक्त हैं या उनके विरोध में हैं, तो उसकी निविदा को संक्षिप्त रूप में कार्यवाही कर रद्द कर दिया जायेगा। किसी भी सूरत में इनमें से किसी भी शर्त को स्वीकार किया हुआ नहीं समझझा जायेगा, जब तक कि क्रेता अधिकारी द्वारा जारी किये गये निविदा स्वीकृति के पत्र में विशेष रूप से उल्लेखित न किया गया हो।

25. क्रेता अधिकरी किसी भी निविदा को जो आवश्यक रूप से न्यूनतम दर की निविदा नहीं है, स्वीकार करने, बिना कोई कारण बताये, किसी भी निविदा को रद्द करने का जिन वस्तुओं के लिये निविदादाता ने निविदा दी है, उन सबके लिये या किसी एक या अधिक के लिये निविदा को स्वीकार करने या एक फर्म/सप्लायर से अधिक को सामान की मदों को वितरित करने के अधिकार को अपने पास आरक्षित रखेगा तथा क्रेता अधिकारी का निर्णय निविदाकारो के लिए सर्वमान्य एवं बाध्यकारी होगा।

26. निविदादाता करार को निष्पादित करते समय निम्नलिखित दस्तावेज प्रस्तुत करेगाः–

    1. एक मात्रा स्वामित्व के मामले में आवास एवं कार्यालय का पता, टेलीफोन नंबर।

    2. कंपनी के मामले में कंपनी के रजिस्ट्रार के द्वारा जारी किया गया प्रमाण पत्र।

27. इस कार्य से संबंधित सफल निविदाकार को गोपनीयता बनाये रखनी होगी।

28. समस्त विधिक कार्यवाहियां, यदि संस्थित किया जाना आवश्यक हो, तो किसी भी पक्षकार (सरकार या ठेकेदार) द्वारा राजस्थान में स्थित न्यायालयों में ही पेश की जायेगी अन्यत्र पेश नहीं की जोयेगी।

29. उक्त शर्तों के अतिरिक्त RTPP Act 2012 व RTPP RULE 2013 एवं राजस्थान सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम में अंकित नियम भी इस निविदा का भाग होंगे।

30. संवेदक द्वारा प्रस्तुत दरे सामान की MRP से अधिक स्वीकार्य नहीं होगी।

मैंरे/हमारे द्वारा उक्त सभी शर्तों पढ एवं समझ लिया गया है एवं मुझे/हमे उक्त सभी शर्ते स्वीकार्य है।

निविदादाता के हस्ताक्षर मय
सील

निविदादाताओं द्वारा घोषणा

मैं/हम घोषणा करता हूँ/करते है कि मैंने/हमने जिन मालों/स्टोर्स/उपकरण के लिए निविदा दी है, उनका/मैं/हम बोनाफाईड/थोक विक्रेता/सोल विवरक/प्राधिकृत डीलर/सोल सेलिंग/विपणन एजेण्ट हैं।

यदि यह घोषणा असत्य पायी जाए तो किसी भी अन्य कार्यवाई जो की जा सकती है, पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, मेरे/हमारी प्रतिभूति को पूर्ण रूप में समपहृत कर लिया जाएगा तथा निविदा को, जिस सीमा तक उसे स्वीकार किया गया है, रद्द कर दिया जाए।

निविदादाता के हस्ताक्षर
मय सील

निविदादाता का नामः–

पूर्ण पताः–

टेलिफोनः–

Annexure - A

Compliance with the Code of Integrity and No Conflict of Interest

Any person participating in a procurement process shall-

(a) not offer any bribe, reward or gift or any material benefit either directly or indirectly in exchange for an unfair advantage in procurement process or to otherwise influence the procurement process;
(b) not misrepresent or omit that misleads or attempts to mislead so as to obtain a financial or other benefit or avoid an obligation;
(c) not indulge in any collusion, Bid rigging or anti-competitive behavior to impair the transparency, fairness and progress of the procurement process;
(d) not misuse any information shared between the procuring Entity and the Bidders with an intent to gain unfair advantage in the procurement process;
(e) not indulge in any coercion including impairing or harming or threatening to do the same, directly or indirectly, to any party or to its property to influence the procurement process;
(f) not obstruct any investigation or audit of a procurement process;
(g) disclose conflict of interest, if any; and
(h) disclose any previous transgressions with any Entity in India or any other country during the last three years or any debarment by any other procuring entity.

Conflict of interest:-

The Bidder participating in a bidding process must not have a Conflict of Interest.

A Conflict of Interest is considered to be a situation in which a party has interests that could improperly influence that party's performance of official duties or responsibilities, contractual obligations, or compliance with applicable laws and regulations.

i. A Bidder may be considered to be in Conflict of Interest with one or more parties in a bidding process if, including but not limited to:

a. have controlling partners/shareholders in common; or
b. receive or have received any direct or indirect subsidy from any of them; or
c. have the same legal representative for purposes of the Bid; or
d. have a relationship with each other, directly or through common third parties, that puts them in a position to have access to information about or influence on the Bid of another Bidder, or influence the decisions of the procuring Entity regarding the bidding process; or
e. the Bidder participates in more than one Bid in a bidding process. Participation by a Bidder in more than one Bid will result in the disqualification of all Bids in which the Bidder is involved. However, this does not limit the inclusion of the same subcontractor, not otherwise participating as a Bidder, in more than one Bid; or
f. the Bidder or any of its affiliates participated as a consultant in the preparation of the design or technical specifications of the Goods, Works or Services that are the subject of the Bid; or
g. Bidder or any of its affiliates has been hired (or is proposed to be hired) by the Procuring Entity as engineer-in-charge/consultant for the contract.

I/we have gone through the conditions/clause above and ready to adhere to them.

Signature if the

bidder

Name:-

Designation with

seal

Annexure -B

Declaration by the Bidder regarding Qualifications

In relation to my/our Bid submitted to ...... for procurement of in response to their Notice Inviting Bids No .... Dated .... I/we hereby declare under Section 7 of Rajasthan Transparency in Public Procurement Act, 2012, that:

1. **I/we possess the necessary professional, technical, financial and managerial resources and competence required by the Bidding Document issued by the Procuring Entity;**
2. I/we have fulfilled my/our obligation to pay such of the taxes payable to the Union and the State Government or any local authority as specified in the Bidding Document;
3. I/we are not insolvent, in receivership, bankrupt or being wound up, not have my/our affairs administered by a court or a judicial officer, not have my/our business activities suspended and not the subject of legal proceedings for any of the foregoing reasons;
4. I/we do not have, and our directors and officers not have, been convicted of any criminal offence related to my/our professional conduct or the making of false statements or misrepresentations as to my/our qualifications to enter into a procurement contract within a period of three years preceding the commencement of this procurement process, or not have been otherwise disqualified pursuant to debarment proceedings;
5. I/we do not have a conflict of interest as specified in the Act, Rules and the Bidding Document, which materially affects fair competition;

Date:
Place:

Signature of bidder

Name

Designation:
Address:

Annexure - C

Grievance Redressal during Procurement Process

The designation and address of the First Appellate Authority is DG IGPRS, Jaipur.

The designation and address of the Second Appellate Authority is Secretary, Panchayati Raj Deptt, Jaipur.

(1) Filing an appeal

If any Bidder or prospective bidder is aggrieved that any decision, or omission of the procuring Entity is in contravention to the provisions of the Act or the Rules or the Guidelines issued there under, he may file an appeal to First Appellate Authority, as specified in the Bidding Document within a period of ten days from the date of such decision or action, omission, as the case may be, clearly giving the specific ground or grounds on which he feels aggrieved:

Provided that after the declaration of a Bidder as successful the appeal may be filed only by a Bidder who has participated in procurement proceedings: Provided further that in case a Procuring Entity evaluates the Technical Bids before the opening of the Financial Bids, an appeal related to the matter of Financial Bids may be tiled only by a Bidder whose Technical Bid is found to be acceptable.

(2) The officer to whom an appeal is filed under para (I) shall deal with the appeal as expeditiously as possible and shall Endeavour to dispose it of within thirty days from the date of the appeal.

(3) If the officer designated under para (1) fails to dispose of the appeal filed within the period specified in para (2), or if the Bidder or prospective bidder or the Procuring Entity is aggrieved by the order passed by the First appellate Authority, the Bidder or prospective bidder or the Procuring Entity, as the case may be, may file a second appeal to Second Appellate Authority specified in the Bidding Document in this behalf within fifteen days from the expiry of the period specified in para (2) or of the date of receipt of the order passed by the First Appellate Authority, as the case may be.

(4) Appeal not to lie in certain cases

No appeal shall lie against any decision of the Procuring Entity relating to the following matters; namely:-

(a) determination of need of procurement;
(b) provisions limiting participation of Bidders in the Bid process;
(c) the decision of whether or not to enter into negotiations;
(d) cancellation of a procurement process;
(e) applicability of the provisions of confidentiality.

(5) Form of Appeal

(a) An appeal under para (I) or (3) above shall be in the annexed Form along with as many copies as there are respondents in the appeal.

(b) Every appeal shall be accompanied by an order appealed against, if any, affidavit verifying the facts stated in the appeal and proof of payment of fee.

(c) Every appeal may be presented to First Appellate Authority or Second Appellate Authority, as the case may be, in person or through registered post or authorized representative.

(6) Fee for riling appeal

(a) Fee for first appeal shall be rupees two thousand five hundred and for second appeal shall be rupees ten thousand, which shall be non-refundable.

(b) The fee shall be paid in the form of bank demand draft or banker's cheque of a Scheduled Bank in India payable in the name of Appellate Authority concerned.

(7) Procedure for disposal of appeal

(a) The First Appellate Authority or Second Appellate Authority, as the case may be, upon filing of appeal, shall issue notice accompanied by copy of appeal, affidavit and documents, if any, to the respondents and fix date of hearing.

(b) On the date fixed for hearing, the First Appellate Authority or Second Appellate Authority, as the case may be, shall,-

(i). hear all the parties to appeal present before him; and

(ii). Peruse or inspect documents, relevant records or copies thereof relating to the matter.

(c) After hearing the parties, perusal or inspection of documents and relevant records or copies thereof relating to the matter, the Appellate Authority concerned shall pass am order in writing and provide the copy of order to the parties to appeal free of cost.

(d) The order passed under sub-clause (c) above shall also be placed on the State Public Procurement Portal.

I/we have gone through the conditions/clause above and ready to adhere to them.

Signature of the bidder
With Seal

Additional Conditions of Contract

1. Correction of arithmetical errors

Provided that a Financial Bid is substantially responsive, the Procuring Entity will correct arithmetical errors during evaluation of Financial Bids on the following basis:

i. if there is a discrepancy between the unit price and the total price that is obtained by multiplying the unit price and quantity, the unit price shall prevail and the total price shall be corrected, unless in the opinion of the Procuring Entity there is an obvious misplacement of the decimal point in the unit price, in which case the total price as quoted shall govern and the unit price shall be corrected;

ii. If there is an error in a total corresponding to the addition or subtraction of subtotals, the subtotals shall prevail and the total shall be corrected; and

iii. If there is a discrepancy between words and figures, the amount in works shall prevail, unless the amount expressed in words is related to an arithmetic error, in which case the amount in figures shall prevail subject to (1) and (ii) above. If the Bidder that submitted the lowest evaluated Bid does not accept the correction of errors, its Bid shall be disqualified and its Bid Security shall be forfeited or its Bid Securing Declaration shall be executed.

2. Procuring Entity's Right to Vary Quantities

(i). At the time of award of contract, the quantity of Gooks, works or services originally specified in the Bidding Document may be increased or decreased by a specified percentage, but such increase or decrease shall not exceed twenty percent, of the quantity specified in the Bidding Document. It shall be without any change in the unit prices or other terms and conditions of the Bid and the conditions of contract.

(ii). If the Procuring Entity does not procure any subject matter of procurement or procures less than the quantity specified in the Bidding Document due to change in circumstances, the Bidder shall not be entitled for any claim or compensation except otherwise provided in the Conditions of Contract.

(iii). In case of procurement of Goods or services, additional quantity may be procured by placing a repeat order on the rates and conditions of the original order. However, the additional quantity shall not be more than 50% of the value of Goods of the original contract and shall be within one month from the date of expiry of last supply. If the Supplier fails to do so, the Procuring Entity shall be free to arrange for the balance supply by limited Bidding or otherwise and the extra cost incurred shall be recovered from the Supplier.

3. Dividing quantities among more than one Bidder at the time If award (In case of procurement of Goods)

As a general rule all the quantities of the subject matter of procurement shall be procured from the Bidder, whose Bid is accepted, However, when it is considered that the quantity of the subject matter of procurement to be procured is very large and it may not be in the capacity of the Bidder, whose Bid is accepted, to deliver the entire quantity or when it is considered that the subject matter of procurement to be procured is of critical and vital nature, in such cases, the quantity may be divided between the Bidder, whose Bid is accepted and the second lowest Bidder or even more Bidders in that order, in a fair, transparent and equitable manner at the rates of the Bidder, whose Bid is accepted.

I/we have gone through the conditions/clause above and ready to adhere to them.

Signature if the

bidder

Name:-

Designation with seal